सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **14 / 2018** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती डाली बाई पत्नि श्री कूकाराम जी डांगी (पुत्री स्व. श्री नवला जी डांगी), निवासी डांगियो का चौराहा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री हरिशंकर पिता स्व. श्री अम्बालाल जी आमेटा,
2. श्री अरूण पिता स्व. श्री नाथूलाल जी आमेटा,
3. श्री पंकज पिता स्व. श्री नाथूलाल जी आमेटा,
4. श्री विनय पिता स्व. श्री नाथूलाल जी आमेटा,
5. श्रीमती इन्दिरा पत्नी स्व. श्री नाथूलाल जी आमेटा,
6. श्री केसुलाल पिता स्व.श्री नवला जी डांगी,
7. श्री खेमराज पिता स्व.श्री नवला जी डांगी,

   संख्या – 1 से 7 निवासीयान वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)

8. श्रीमती कंकुबाई पत्नी श्री हीरालाल जी डांगी (पुत्री स्व. श्री नवला जी डांगी), निवासी महाराज की खेडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.)
9. श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री सुखलाल जी डांगी (पुत्री स्व. श्री नवला जी डांगी), निवासी पुलिस थाने के पास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर(राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध
नामान्तरकरण संख्या 4158 दिनांक 31.12.2010
द्वारा तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.

उपस्थित : श्री सुशील कोठारी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वि.सं. 1 व 3
श्री आर.एस.राव अधिवक्ता वि.सं. 8

निर्णय

दिनांकः–24.09.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर

तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा निर्णित नामान्तकरण सं. 4158 दिनांक 31.12.10 से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपने अपील में निवेदन किया है कि मौजा वल्लभनगर की खसरा नं. 1106 व 1107 किता 2 रकबा 3.05 बीघा पैतृक कृषि भूमि होकर अपीलान्ट के पिता नवला पिता रता जी डांगी के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त कुलिया भूमि नामान्तरकरण सं. 3380 दिनांक 20.02.06 से अपीलान्ट व उनकी माता व प्रत्यर्थी सं. 6, 7, 8, 9 जो कि अपीलान्ट के भाई–बहन है, के नाम दर्ज हुई। दिनांक 20.03.18 को अपनी कृषि भूमि का बंटवाडा करा हिस्सा पृथक–पृथक कराने हेतु जमाबन्दी की नकल की मांग की तो खसरा सं. 1107 की 1500 वर्गफीट भूमि श्री नाथूलाल एवं हरिशंकर पिता अम्बालाल आमेटा के नाम दर्ज होने की जानकारी मिली। जिस पर अपीलान्ट द्वारा आक्षेपित नामान्तकरण सं. 4158 की प्रति प्राप्त की जो दिनांक 05.04.18 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.74 के किसी विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण खोला जाना उल्लेखित किया है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। जबकि भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलान्ट को बिना सूचना दिये, बगैर सुनवाई का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम खोल दिया गया। अपीलीय नामान्तकरण को 36 वर्ष पूर्व निष्पादित विक्रय विलेख पत्र के आधार पर खोल दिया गया जबकि वर्तमान में यह भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6, 7, 8, 9 के नाम पर दर्ज है। वर्तमान खातेदारों को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पूर्वाधिकारियों द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर नामान्तकरण खोल दिया गया। विक्रय विलेख के विक्रेता नवला डांगी के नाम पर भूमि दर्ज ही नहीं रही तो किस प्रकार से नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता है। नामान्तरकरण खोलने से पूर्व कब्जे की जांच भी नहीं की गई। 36 वर्ष पुराने दस्तावेज के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण में निष्पादक की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा दस्तावेज विधि विरूद्ध है। जब तक विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा निष्पादित किया जाना दस्तावेज में साबित नहीं हो पाता है तब तक ऐसे दस्तावेज में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण सं. 4158 दिनांक 31.12.10 को निरस्त फरमाया जाये।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.03.18 को हुई जिस दिनांक को अपीलार्थी

द्वारा अपनी कृषि भूमि का बंटवाडा करा हिस्सा पृथक–पृथक कराने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी साहब के पास गया तो पटवारी साहब द्वारा कथित नामान्तकरण के संबंध में बताया । जिस पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई। जानबुझकर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की है। यदि किसी प्रकार की देरी पाई जाती है तो ऐसी देरी को सद्भावी मानते हुये न्यायहित में कण्डोन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2, 4 से 7 व 9 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। तामीलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 16.09.19 को अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट सं. 8 के अधिवक्ता भी अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही दिनांक 16.09.19 को अमल में लाई गई।

रेस्पोडेंट सं. 1 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वल्लभनगर की आराजी नं. 1107 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 25 X 15 गज भूमि कुलिया 1500 वर्गफीट को नवला पिता रता जी डांगी द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 व रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 के पूर्वाधिकारी नाथुलाल जी आमेटा को दिनांक 17.06.74 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया था। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु 1991 में हुई थी। जिनके जीवनकाल में ही उनके द्वारा भूमि विक्रय की गई थी। शेष भूमि विरासत से अपीलान्ट को प्राप्त हुई। विक्रय भूमि के संबंध में अपीलान्ट को पूर्णतया ज्ञान था। इस मामले में रेस्पोडेंट सं. 6 व 7 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के न्यायालय में दिनांक 27.08.15 को प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण सं. 72/15 वाद है। उक्त वाद के साथ–साथ ही रेस्पोडेंट सं. 6 व 7 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया था। यानिकी उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को वर्ष 2015 से पूर्व से ही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत सुनवाई कर ही नामान्तरकरण पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट पटवारी से मंगवाकर ही नामान्तकरण निर्णित किया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। जो भूमि नवला जी द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के पूर्वाधिकारी नाथूलाल जी आमेटा को विक्रय की है। उस भूमि में अपीलान्ट का कोई हिस्सा नहीं रहा है। अपीलान्ट को जो भूमि प्राप्त हुई है वह नवला जी के वारिसान के आधार पर प्राप्त हुई है। विक्रयनामा वर्ष 1974

को होकर रजिस्टर्ड विक्रयनामा है जो कि वैध दस्वावेज था। उक्त दस्तावेज के आधार पर खोला गया नामान्तकरण विधि संगत है। दिनांक 19.11.04 को कथित प्लॉट के दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ था जो निर्माण कार्य में बाधक होने से उसे काटने की स्वीकृति हेतु तहसीलदार वल्लभनगर को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।जिसकी जांच पटवारी से करवायी गई। जिसमें भी रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा प्लॉट की भूमि विक्रय किया जाना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा उक्त नामान्तरकरण के संबंध में वर्ष 2015 में एक परिवाद न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वल्लभनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर बाद जांच थानाधिकारी वल्लभनगर द्वारा अदम बकुवा के तथ्य की भूल का होना मानते हुए यह अंकन किया कि नामान्तरकण खुलवाया जो प्रार्थी के खाते में से जमीन अपीलार्थी के खाते में विधिवत ट्रांसफर हुई है। जमीन प्रार्थी के पिता नवला ने ही बेचान कर रजिस्ट्री करवायी गई है। जिसके आधार पर विधिवत रूप से नामान्तरकरण खुलवाया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट एवं परिजनों को थी। कथित भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 का कब्जा है। जिनके द्वारा उक्त भूमि के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनायी है। नल एवं विद्युत का कनेक्शन भी वर्ष 2015 से लिया हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की कथित प्लॉट की निर्मित दिवार को गिराकर नुकसान किया गया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि दलालों से मिलकर जबरन कब्जा करना चाहा रहे है। उनके विरूद्ध एफआईआर सं. 16/18 व 44/18 पुलिस थाना वल्लभनगर में दर्ज करवायी जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान पेश किये गये। इस प्रकार अपीलान्ट को कथित नामान्तकरण की जानकारी शुरू से ही थी। वर्ष 2015 से उसे विधिवत थी। उसके बावजूद वर्ष 2018 में जानकारी बताकर नामान्तकरण की अपील की है वह गलत तथ्यों के आधार पर की गई है। अपीलान्ट के पिता नवला जी डांगी द्वारा आराजी नं. 1107 का कुछ हिस्सा फतहलाल पिता बरदीचन्द जी लौहार के नाम दर्ज हुआ। बतौर गवाह उनके द्वारा उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है।

साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण न्यायलय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में दिनांक 27.08.15 को प्रस्तुत किया था। जिसके प्र.स.72/15 वाद है। उक्त वाद के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 212 का प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य सभी खातेदारों को सम्मन जारी किये गये थे। जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2015 से पूर्व ही अपीलान्ट को अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी थी। परन्तु तथ्यों को छुपाकर गलत आधार पर प्राथ्रना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कारण देरी को कण्डोन किया जाना न्यायेाचित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा देरी को क्षम्य किये

जाने बाबत जो आधार बताये गये है। वह न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील मयाद अवधि पर ही खारीज किया जाना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा वल्लभनगर में प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि स्थित है। जिसके आराजी नं. 1106 व 1107 किता 2 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा होकर अपने पिता नवला जी से विरासत से प्राप्त हुई। दिनांक 20.03.18 को कृषि भूमि का बंटवाडा करवाये जाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी सा. के पास गया तो नकल से ज्ञात हुआ कि आराजी नं. 1107 की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम दर्ज है। जो नामान्तकरण सं. 4158 से विक्रय विलेख पत्र दिनांक 17.06.74 के आधार से हस्तान्तरण हुई है। उक्त नामान्तकरण दिनांक 31.12.10 को खोला गया है। जबकि उक्त दिनांक को भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी से दर्ज थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारों को बिना सुने ही मनमर्जी से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी गई। तथाकथित विक्रय विलेख के विक्रेता की मृत्यु हो चुकी थी। विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा निष्पादित किया जाना जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक इस पर कार्यवाही नहीं की जानी थी। विक्रय पत्र भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से बाधित होकर शून्य दस्तावेज था। उक्त प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव से विलोपित नहीं किया गया है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही अवैध है। नामान्तकरण खोलने से पूर्व कब्जे की जांच नहीं की ना ही अपीलान्ट को सूचित किया गया। 36 वर्ष पूर्व के दस्तावेज जो कि विधिविरूद्ध था उसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण निरस्त योग्य है।

साथ ही निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण का ज्ञान 05.04.18 को हुआ। नामान्तकरण का ज्ञान होते ही नियमानुसार नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण निर्णित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारानों यानीकि मूल खातेदारों को सुना नहीं गया। बिना हितबद्ध पक्षकारो को सुने नामान्तकरण पारित किया गया है। ऐसे नामान्तकरण की अपील किये जाने में मयाद का प्रश्न आड़े नहीं आता है। अपने कथनो की ताईद में आर.आर.टी. 2002 पेज 648, आर.आर.टी. 2002 पेज 257, आर.आर.डी. 1994 पेज 606 के दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों के अनुसार निवेदन किया कि तहसील वल्लभनगर की आराजी नं. 1107 रकबा 1.14 बिघा भूमि में से 25 X 15 गज भूमि कुलिया 1500 वर्गफीट को नवला पिता रता जी डांगी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के पूर्वाधिकारी नाथुलाल जी पिता अम्बालाल जी आमेटा दिनांक 17.06.74 को विक्रय कर कब्जा सिपुदु

किया था। एवं विक्रय नामे की रजिस्ट्री उप पंजीयक वल्लभनगर के समक्ष करवायी थी। अपीलान्ट के पिता वर्ष 1991 में हुई थी। मृत्यु बाद 1500 वर्गफीट के अलावा शेष भूमि अपीलान्ट को विरासत से प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा जो कथन किया गया है कि मुझे नामान्तकरण का ज्ञान सर्वप्रथम जमाबन्दी की नकल प्रापत करने पर दिनांक 20.03.18 को हुआ। यह कथन उसका पूर्णतया गलत है। जबकि इससे पूर्व ही रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के न्यायालय में एक घोषणा का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिनके प्रकरण क्रमशः 72/15 व 44/15 दर्ज होकर अपीलान्ट व अन्य खातेदारानों को नोटिस जारी हुए थे। वर्ष 2015 से ही उक्त नामानतकरण की जानकारी सभी खातेदारानों को यानीकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 को थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर विधिवत बाद सुनवाई मौके की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त प्लॉट की भूमि मूल खातेदार नवला द्वारा ही विक्रय कर दी गई थी। श्री नवला द्वारा इस भूमि को विक्रय कर अपने टेनेट के सारे अधिकार स्थानान्तरण कर कब्जा भी क्रेताओं को भौतिक रूप से 17.06.74 को सिपुर्द कर दिया। जिससे वर्तमान खातेदार कानूनन श्री नवला द्वारा विक्रय की गई भूमि पर अपना कोई हक व अधिकार नहीं रखते है। श्री नवला जी द्वारा अपने निष्पादित बकाव नामे में यह कथन अंकित किया है कि बिकाव बाबत मुझे व मेरे वंशज को पाबन्दी होगी। उजर करने पर नाजायज होगा। इस भूमि पर काश्त नहीं होती हैं, काश्त के काम नहीं आती है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से बाधित भी नही है। इस प्लॉट पर दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ स्थित था जो निमार्ण कार्य में बाधित होने से कटवाये जाने हेतु एक रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को पेश की। जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं कर प्लॉट की भूमि विक्रय किया जाना स्वीकार किया। अपीलीय नामान्तकरण के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा एक परिवाद भी प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद जांच थानाधिकारी वल्ल्भनगर द्वारा अदम वकुवा तथ्य की भूल का होना मानते हुये भूमि का हस्तान्तरण विधिवत होना बताया। इस भूमि पर वर्ष 2015 से ही विद्युत कनेक्शन था। रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 द्वारा प्लॉट की दिवार गिराकर नुकसान करने व फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि दलालों से मिलकर जबरन कब्जा करने एफआईआर क्रमांक 16/18, 44/18 थाना वल्लभनगर में दर्ज करवायी जो बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर वाद विचाराधीन है। इसके बाद भी यह कहे जाना कि उक्त नामान्तकरण का ज्ञान

हमे नहीं होने का कथन किया जाना सरासर मिथ्या कथन है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गईं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तकरण दिनांक 31.12.10 को निर्णित हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 केन्द्र वल्लभनगर पर नाथूलाल आमेटा व हरिशंकर आमेटा द्वारा एक प्रार्थनापत्र केम्प प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष प्रस्तुत कर नवला पिता रता डांगी से मौजा वल्लभनगर की आराजी नं. 1107 में से 25 X 15 वर्गगज भूमि क्रय कर नामान्तकरण खुलवाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट पटवारी से ली गई। पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंजीयन शुदा दस्तावेज 17.06.74 का पंजीकृत है। नवला वल्द रता दादा नंदा जाति डांगी जो विक्रेता का मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रकरण को घोषणा के वाद के जरिये हल संभव है। जिस पर केम्प प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि कब्जा एवं विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को सूचित करावें। जिस पर पटवारी से पुनः कब्जे की रिपोर्ट ली गई। जिसके आधार पर नामान्तकरण पटवारी द्वारा दर्ज किया गया। परन्तु केम्प प्रभारी अधिकारी या तहसीलदार द्वारा किसी भी आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पंजीकृत विक्रय पत्र 17.06.74 का होकर क्रेता की मृत्यु हो जाना पटवारी द्वारा बताये जाने के उपरान्त भी वर्तमान खातेदारों को सुना जावे। क्रेताओं द्वारा प्रार्थनापत्र प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जो भी कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही में खातेदारों को यानी कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सं. 6,7, 8, 9 को सुना गया। अपीलीय नामान्तकरण अपीलार्थी को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलार्थी को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अपीलीय नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। जिसमें सुनवाई के अधिकार के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। ऐसे एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा की बाधा नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 द्वारा कथन किये गये है कि अपीलान्ट को वर्ष 2015 से ही अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी थी। परन्तु यदि ऐसा कोई नामान्तकरण बिना सुने पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश वाईड होकर बिना अधिकार के है। ऐसे नामान्तकरण को कानूनन देखा नहीं जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित ग्राम वल्लभनगर का नामान्तकरण सं. 4158 दिनांक 31.12.10 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः

तहसीलदार वल्लभनगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह दोनो पक्षों को सुनकर मौके व दस्तावेजी साक्ष्य लिए जाकर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करे। दोनो पक्षों को हिदायत दी जाती है कि वे अपने साक्ष्य सबूतों के साथ में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में दिनांक 04.11.19 को उपस्थित होवे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर